

गहरी जुताई कार्य हेतु आवेदन

प्रति,

उपसंचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला

द्वारा:- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्राम

विषय:- खेत की गहरी जुताई कार्य के संबध में।

मैं शासन की "हलधर योजना" के अंतर्गत अपनी कृषि भूमि की गहरी जुताई करवाना चाहता हूँ। पूर्ण
विवरण निम्नानुसार है:-

1. किसान का नाम.....आत्मज.....जाति.....

श्रेणी- (लघु/सीमान्त/अन्य)

(अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सभी श्रेणी तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषक पात्र)

2. भूमि का विवरण- खसरा नं.कुल रकबा.....हेक्टेयर

3. भूमि का रकबा जिसमें कार्य करवाना है.....हेक्टेयर (योजना के प्रावधान अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों की अधिकतम 4 हेक्टेयर एवं सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषकों की अधिकतम 2 हेक्टेयर तक भूमि की गहरी जुताई की जावेगी।)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि जिसका विवरण मेरे द्वारा दिया गया है वह मेरे स्वामित्व की है तथा उस पर किसी भी तरह के विवाद के लिये मैं स्वयं उसका जिम्मेदार रहूंगा।

संलग्न:- ऋण पुस्तिका की छायाप्रति।

आवेदन दिनांक:

हस्ताक्षर किसान

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक तथा आवक क्रमांक -
2. गहरी जुताई कार्य पंजी (प्रपत्र-3) में आवेदन पंजीयन का सरल क्रमांक -

नाम एवं हस्ताक्षर
ग्रा.कृ.वि.अधि.
ग्राम.....

पावती

"हलधर योजना" अंतर्गत किसान श्री.....आत्मज.....ग्राम.....
विकासखण्ड.....की खसरा क्रमांक.....की भूमि में कार्य का आवेदन आज दिनांक.....
को प्राप्त किया।

नाम एवं हस्ताक्षर
ग्रा.कृ.वि.अधि.
ग्राम.....